शिव कुमार भगत

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

सितम्बर 12, 2003

(एन. संतोष हेगड़े और बी.पी. सिंह, जे.जे)

बिहार और उड़ीसा उत्पाद शुल्क नियम

नियम 45- अतिरिक्त लाइसेंस- अनुदान देने के लिए आवश्यकताएँ - भारत में निर्मित विदेशी शराब-थोक वेंडिंग- कलेक्टर ने आईएमएफएल की बिक्री के लिए एक अतिरिक्त थोक शराब लाइसेंस की मंजूरी हेतु उत्पाद शुल्क आयुक्त को सिफारिश की। - मौजूदा लाइसेंसधारी ने उत्पाद शुल्क आयुक्त के समक्ष याचिका दायर की, जिसने एक अतिरिक्त लाइसेंस की सिफारिश को उचित ठहराया था - राजस्व बोर्ड के समक्ष मौजूदा लाइसेंसधारी की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई थी। लेकिन उच्च न्यायालय ने उसकी रिट याचिका को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि अतिरिक्त लाइसेंस स्वीकृत करना अवैध था क्योंकि कलेक्टर ने उत्पाद शुल्क आयुक्त को सिफारिश करते समय नियम 45 का अनुपालन नहीं किया था- अभिनिर्धारित- कलेक्टर और साथ ही आयुक्त दोनों को आईएमएफएल की खुदरा बिक्री या थोक बिक्री के लिए लाइसेंस देते समय

संबंधित क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए- नियम 45 के संदर्भ में सच्ची परीक्षा यह है कि क्या अतिरिक्त लाइसेंस उस क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और अवैध स्रोतों के माध्यम से आपूर्ति का प्रतिकार करने की दृष्टि से प्रदान किया गया है- ऐसी वस्तु की सुनिश्चित मांग को पूरा करने के लिए शब्दों के प्रयोग का तात्पर्य केवल यह है कि अधिकारियों को यह आंकलन करना चाहिये कि क्या प्रश्नरत उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु की मांग बढ़ गई है और क्या ऐसी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु हस्तगत मामले में आईएफएमएल की आपूर्ति मौजूदा लाइसेंसधारियों सें पूरी की जा सकती है- तथ्यों पर, अधिनियम और नियम 45 के प्रावधानों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है-परिस्थितियों के तहत और आयुक्त के समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष कि अतिरिक्त लाइसेंस का अनुदान उचित था, गलत नहीं पाया जा सकता है, भले ही यह मान लिया जाए कि कलेक्टर की ओर से क्छ चूक के कारण कुछ तकनीकी खराबी थी, क्योंकि उन्होंने सिफारिश पत्र में सभी प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख नहीं किया था। अधिनियम की धारा 41 के प्रावधानों के मद्देनजर, उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा दिए गए लाइसेंस को अमान्य नहीं किया जा सकता। यह तर्क कि लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई है, इसलिए इस अपील में निर्णय लेने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, जो निरर्थक हो चुकी है, यह तर्क भी गलत है- जहां तक आईएमएफएल

बेचने के लिए थोक लाइसेंस देने का सवाल है, नियमों के तहत कितने ही समय के लिये जो पाँच वर्ष से अधिक न हों, लाईसेन्स की अनुमित दी जा सकती है, जैसा कि बोर्ड प्रत्येक मामले में निर्णय ले सकता है- बिहार उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915- धारा 41।

शब्द और वाक्यांश:

अभिव्यक्ति "ऐसी वस्तु की सुनिश्चित मांग को पूरा करने के लिए"-बिहार एवं उड़ीसा उत्पाद नियमावली के नियम 45 के संदर्भ में।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7269/2003

पटना उच्च न्यायालय की सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं 7075/2002 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 13.08.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई।

आर.के.जैन, सत्यवीर भारती और श्रीमती रचना गुप्ता- अपीलार्थी की ओर से।

ए. शरण, अरूप बनर्जी, एस.ए.खान, देबा प्रसाद मुखर्जी, बी.बी. सिंह और सुश्री सुनीता आर. सिंह - प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय बी.पी. सिंह, न्यायाधिपित द्वारा विशेष अनुमित दी गई। हमने पक्षों के वकील को विस्तार से सुना है। इस अपील में अपीलकर्ता ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 7075/2002 में 13.08.2002 को उच्च न्यायालय, पटना के फैसले और आदेश पर आपित जताई है। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए कलेक्टर के पत्र दिनांक 13.02.2002 को रद्द कर दिया जिससे उन्होंने बेगूसराय जिले के लिये भारत में निर्मित विदेशी शराब (इसके बाद आईएमएफएल के रूप में संदर्भित) की थोक बिक्री हेतु एक अतिरिक्त लाइसेंस देने की सिफारिश की थी, इस आधार पर कि यह नियम 45 बिहार और उड़ीसा उत्पाद शुल्क अधिनियम (इसके बाद नियम के रूप में संदर्भित) एवं धारा 89 बिहार उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अनुसार नहीं की गई थी। यह माना गया कि चूंकि कलेक्टर द्वारा की गई सिफारिश नियमों के अनुरूप नहीं थी इसलिये आयुक्त उक्त सिफारिश पर आगे कार्यवाही नहीं कर सकता था और उसे अपने आदेश दिनांक 18.3.2002 के द्वारा स्वीकार नहीं कर सकता था।

मामले के तथ्य, जहां तक वे इस अपील के निपटारे के लिए प्रासंगिक हैं, इस प्रकार है:-

बेगुसराय के कलेक्टर ने अपने प्रस्ताव दिनांक 22.1.2002 के तहत अपीलकर्ता के पक्ष में एक अतिरिक्त थोक शराब लाइसेंस की मंजूरी के लिए उत्पाद शुल्क आयुक्त को एक प्रस्ताव भेजा। कलेक्टर के उक्त प्रस्ताव को आयुक्त ने अस्वीकार कर दिया और उन्हें वापस कर दिया क्योंकि आयुक्त की राय में कलेक्टर द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के लिए अतिरिक्त लाइसेंस की अनुशंसा करना उचित नहीं था। उन्होंने निर्देश दिया कि मांग और

सार्वजनिक आवश्यकता को देखते हुए ऐसे अतिरिक्त थोक लाइसेंस को उचित ठहराते हुए एक अतिरिक्त थोक लाइसेंस को मंजूरी देने के लिए एक प्रस्ताव बनाया जा सकता है। इसके बाद, कलेक्टर, बेगुसराय ने बेगुसराय जिले के लिए आईएमएफएल की बिक्री हेतु एक अतिरिक्त थोक लाइसेंस की मंजूरी के लिए दिनांक 13.2.2002 को एक और सिफारिश की। उत्पाद आयुक्त को संबोधित अपने पत्र में, उन्होंने कहा कि एक अतिरिक्त थोक लाइसेंस दिए जाने से बेगुसराय जिले में लाइसेंस राजस्व में वृद्धि होगी और यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए भी अनुकूल है, आईएमएफएल की खपत में वृद्धि होने से राजस्व संग्रह में वृद्धि हो सकती है। प्रत्यर्थी नंबर 5 बेगुसराय जिले में आईएमएफएल के लिए एकमात्र थोक लाइसेंस धारक था। उपरोक्त प्रत्यर्थी के पति को वर्ष 1984 में ऐसा लाइसेंस प्रदान किया गया था, जो उनकी मृत्यु के बाद प्रत्यर्थी संख्या 5 को हस्तांतरित कर दिया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 5 ने आईएमएफएल के लिए एक अतिरिक्त थोक लाइसेंस की मंजूरी के लिए कलेक्टर के प्रस्ताव के खिलाफ उत्पाद शुल्क आयुक्त के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसे उत्पाद शूल्क मामले संख्या 16/2002 के रूप में दर्ज किया गया था। उत्पाद शुल्क आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 18.3.2002 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 5 की आपत्ति को खारिज कर दिया जो संलग्नक पी-2 के रूप में संलग्न है। उक्त आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कलेक्टर बेग्सराय की टिप्पणियों के साथ-साथ उत्पाद कार्यालय से संबंधित प्रशासनिक फ़ाइल भी मांगी और पक्षों को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में नियमों के नियम 45 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, आईएमएफएल में थोक व्यापार के लिए एक अतिरिक्त लाइसेंस दिया जाना उचित था। उन्होंने कहा कि उपरोक्त नियमों के तहत संबंधित क्षेत्र की मांग को देखते हुए अतिरिक्त लाइसेंस दिया जा सकता है। यह पाया गया कि उत्पाद शुल्क आयुक्त के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 5 ने तर्क दिया कि चूँकि वह बेगुसराय जिले के लिए सन 1984 से एकमात्र थोक लाइसेंसधारी है और परिश्रम के साथ काम कर रही थी और अपने काम को संतोषजनक ढंग से निष्पादित कर रही थी तथा उत्पाद शुल्क राजस्य के माध्यम से राज्य को बड़ी राशि दे रही थी, इसलिये अतिरिक्त थोक लाइसेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

उत्पाद आयुक्त ने कलेक्टर, बेगुसराय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये अभिलेखों और कलेक्टर की टिप्पणियों को देखने के बाद पाया कि 1984 से जिले में केवल एक थोक लाइसेंसधारी काम कर रहा था। इसके बाद से आईएमएफएल की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई थी. उन्होंने इस संबंध में बने एकाधिकार के बारे में कलेक्टर की रिपोर्ट पर भी गौर किया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जनसंख्या और आर्थिक क्षमता में वृद्धि के परिणामस्वरूप आईएमएफएल की मांग में वृद्धि हुई है, उन्होंने

बेगुसराय जिले के लिए अतिरिक्त थोक लाइसेंस देने हेतु कलेक्टर द्वारा की गई सिफारिश को उचित पाया। सभी प्रासंगिक बातों पर विचार करने के बाद उत्पाद शुल्क आयुक्त ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देशों के साथ उनके समक्ष उत्पाद शुल्क मामले का निपटारा किया:-

- बेग्सराय जिले में अभी केवल एक थोक लाइसेंस है और इसके
 अलावा एक अतिरिक्त लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है।
- 2. यह स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त लाइसेंस किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए स्वीकृत नहीं किया गया है। कलेक्टर लाइसेंस देने से पहले समानता के सिद्धांत पर विचार करेंगे और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे।
- 3. इसके लिए वह समाचार पत्र में प्रकाशन करायेंगे तथा आवेदनों पर स्वतंत्रता पूर्वक एवं समानता से विचार करेंगे। मैं यहां यह भी स्पष्ट कर रहा हूं कि इस प्रक्रिया में कलेक्टर, बेगुसराय किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई विशेष शर्त नहीं रखेंगे और/या साथ ही वह पूर्वाग्रह के बिना अन्य आवेदकों के मामले पर विचार करेंगे।

उत्पाद शुल्क आयुक्त के आदेश के अनुसरण में, कलेक्टर ने 28.03.2002 को समाचार पत्रों में एक सामान्य सूचना जारी की, जिसमें वर्ष 2002-2003 के लिए बेग्सराय जिले हेत् आईएमएफएल की बिक्री के

लिए स्वीकृत थोक लाइसेंस के निपटान बाबत इच्छुक पार्टियों से आवेदन आमंत्रित किए गए। नोटिस में निपटान की शर्तों और आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का विवरण दिया गया है।

प्रत्यर्थी संख्या 5, मौजूदा थोक लाइसेंसधारी ने आईएमएफएल के थोक वेंडिंग के लिए एक अतिरिक्त थोक लाइसेंस को मंजूरी देने के लिये आयुक्त के दिनांक 18.03.2002 के आदेश को चुनौती देते हुए राजस्व बोर्ड के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका 57/2002 प्रस्तुत की। उक्त पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली गई, लेकिन स्थगन की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई। प्रत्यर्थी संख्या 5 ने 29.03.2002 को एक उनवानी वाद पत्र दायर किया था लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 का अनुपालन न करने के कारण मुंसिफ बेगुसराय की अदालत ने उस पर विचार नहीं किया।

प्रत्यर्थी संख्या 5 ने फिर 08.04.2002 को पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका सीडब्ल्यूजेसी संख्या 4607/2002 दायर की, जिसमें उत्पाद शुल्क आयुक्त के उपरोक्त आदेश को चुनौती दी गई थी, लेकिन बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण याचिका लंबित होने के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने राजस्व बोर्ड को पुनरीक्षण याचिका का निपटान करने के निर्देश के साथ रिट याचिका का निपटारा किया और आगे निर्देश दिया कि

पुनरीक्षण के निपटान तक उत्पाद शुल्क आयुक्त के आदेश दिनांक 18.03.2002 के अनुसरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

पुनरीक्षण याचिका राजस्व बोर्ड के समक्ष विचारणार्थ आई और दिनांक 21.06.2002 के आदेश प्रदर्श पी-5 के द्वारा विद्वान सदस्य राजस्व बोर्ड ने प्नरीक्षण याचिका खारिज कर दी। हालाँकि अपीलकर्ता द्वारा इसका विरोध किया गया था, कि नियम 45 मौजूदा मामले पर लागू नहीं होता। राजस्व बोर्ड ने इस धारणा पर पुनरीक्षण याचिका पर फैसला सुनाया कि नियम 45 मामले के तथ्यों पर लागू होता है, और आगे माना कि उक्त नियम का अनुपालन किया गया था। साथ ही राजस्व बोर्ड ने एक विस्तृत आदेश में अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 5 के साथ-साथ बिहार राज्य और उसके प्राधिकारियों की ओर से उपस्थित सरकारी वकील द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत तर्कों पर भी विचार किया। उन्होंने कलेक्टर की ओर से प्रस्तुत टिप्पणियों पर भी विचार किया जो कि आईएमएफएल की खपत के वर्षवार विवरण दिये जाने के लिये तलब की गई थी। उन्होंने उत्पाद अधीक्षक, बेग्सराय के दिनांक 10.06.2002 के प्रतिवेदन पर भी विचार किया। अपने समक्ष प्रस्तुत तथ्यों से राजस्व बोर्ड ने यह पाया कि वर्ष 1985-86 में आईएमएफएल की मांग केवल 12655.76 एल.पी.एल. थी, जो वर्ष 2001-02 में बढ़कर 265643.32 एल.पी.एल. हो गई और मई 2002 तक खपत 35286.25 एल.पी.एल. के उच्चतम स्तर पर पह्ॅंच गई। इन आंकड़ों के

आधार पर सरकारी वकील ने आईएमएफएल की बढ़ती मांग को देखते हुए दलील दी कि जिले के लिए अतिरिक्त लाइसेंस देना उचित था। बेगूसराय कलेक्टर की रिपोर्ट से यह भी खुलासा हुआ कि पटना जिले में 7, मुजफ्फरपुर जिले में 5, सारण, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया जिलों में 3, पूर्वी चंपारण में 4 और पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी और सीतामढी जिलों में 2 थोक आईएमएफएल लाइसेंसधारी हैं जबिक बेगुसराय जिले में केवल एक थोक लाइसेंसधारी था। इसलिए बोर्ड इस बात से संतुष्ट था कि आईएमएफएल की खपत में जबरदस्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बेगुसराय जिले के लिए आईएमएफएल की बिक्री हेतु एक अतिरिक्त थोक लाइसेंस देना न्यायोचित था। इसलिए उत्पाद शुल्क आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं था। इन निष्कर्षों पर प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।

इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 5 ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अनुमित दे दी गई जिससे हस्तगत अपील का उद्भव हुआ।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा अतिरिक्त लाइसेंस दिए जाने पर आपित करने का एकमात्र उद्देश्य अपना एकाधिकार बनाए रखना था। पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती मांग को देखते हुए बेगुसराय जिले के लिए एक अतिरिक्त थोक लाइसेंस देने का

औचित्य था और निकटवर्ती और आसपास के जिलों में एक से अधिक थोक लाइसेंस दिए गए थे। प्रत्यर्थी संख्या 5 ने अपनी रिट याचिका में अपीलकर्ता के पक्ष में थोक लाइसेंस दिए जाने को भी चुनौती दी क्योंकि इस बीच कलेक्टर ने सदस्य राजस्व बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण याचिका खारिज होने के बाद दिनांक 29.06.2002 को अपीलकर्ता के पक्ष में थोक लाइसेंस प्रदान कर दिया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि यद्यपि अपीलकर्ता को लाइसेंस देने में प्राधिकारियों ने निष्पक्षता से काम किया था और उसके लिए प्रक्रिया का पालन किया था इसलिये अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए पक्षपात आदि के आरोप उचित नहीं थे, लेकिन अंततः अपीलकर्ता के पक्ष में दिया गया अनुदान अवैध था क्योंकि कलेक्टर ने अतिरिक्त थोक लाइसेंस देने के लिए आबकारी आयुक्त को सिफारिश करते समय नियमों के नियम 45 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया था। परिणामस्वरूप ऐसी अनुशंसा को उत्पाद शुल्क आयुक्त स्वीकार नहीं कर सकता था।

इस अपील में हमारे विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या आयुक्त द्वारा कलेक्टर की अनुशंषा पर बेगुसराय जिले के लिए आईएमएफएल में थोक व्यापार हेतु स्वीकृत एक अतिरिक्त थोक लाइसेंस की मंजूरी गलत थी? क्यांेकि उसमें नियमावली के नियम 45 का अनुपालन नहीं किया गया था। अपीलकर्ता के वकील ने हमारे समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में त्रुटि की है कि

नियम 45 का अनुपालन नहीं किया गया था। इस मामले के तथ्य से यह खुलासा होता है कि उत्पाद शुल्क आयुक्त ने एक अतिरिक्त थोक लाइसेंस को मंजूरी देने से पहले कलेक्टर की टिप्पणियों और उनके सामने रखी गई सामग्री के आधार पर खुद को संतुष्ट किया था कि नियम 45 की आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन किया गया था। चूंकि, कलेक्टर की सिफारिश को अंतिम रूप देने के लिए आयुक्त की मंजूरी की आवश्यकता थी, आयुक्त द्वारा अंतिम आदेश पारित करने से पहले प्रस्तुत सभी प्रासंगिक सामग्री जो उनके सामने पेश हुई थी पर विचार किया और संतुष्ट होने पर कि सिफारिश उचित थी, उन्होंने बेगुसराय जिले के लिए आईएमएफएल में व्यापार हेतु एक अतिरिक्त थोक लाइसेंस को मंजूरी दी। उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार भले ही थोक लाइसेंस देने से पहले की गई कार्यवाही में कोई तकनीकी दोष या चूक होने पर भी ऐसी तकनीकी दोष या अनियमितता या चूक लाइसेन्स को अमान्य नहीं करेगी।

इस स्तर पर अधिनियम के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) में यह प्रावधान है कि राजस्व बोर्ड अधिनियम के उद्देश्य के अनुसार खुदरा बिक्री की सीमा तय करने के उद्देश्य से, अधिसूचना द्वारा राज्य के पूरे या किसी निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के संबंध में घोषणा कर सकता है कि किसी भी नशीले पदार्थ

की खुदरा बिक्री की मात्रा कितनी होगी। उपधारा (2) में प्रावधान है कि उपधारा (1) के तहत उसके संबंध में घोषित मात्रा से अधिक मात्रा में किसी भी नशीले पदार्थ की बिक्री को थोक माना जाएगा।

अधिनियम का अध्याय 6 लाइसेंस, परिमट और पास से संबंधित है। अधिनियम की धारा 34 और 35 सुसंगत हैं जिसमें निम्न प्रावधान हैं:-

- 34. कलेक्टर द्वारा लाइसेंस प्रदान करना और सूची, आपत्तियों और राय आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करना-
- (1) धारा 33 के तहत प्रस्तुत आपितयों और राय की प्राप्ति के लिए निर्धारित तिथि के बाद कलेक्टर उस पर विचार करेगा और यदि आवश्यक हो तो उक्त सूची को संशोधित करेगा और यह तय करेगा कि किस स्थान पर खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस दिया जायेगा, स्प्रिट दी जायेगी और वह अपने विवेक से तदनुसार लाइसेंस प्रदान कर सकता है।
- (2) कलेक्टर तत्काल संशाधित रूप से उक्त सूची और उक्त आपितयों और राय और अपनी राय को उत्पाद शुल्क आयुक्त को प्रस्तुत करेगा।
- 35. उत्पाद शुल्क आयुक्त के निर्णय की अंतिमता- आबकारी आयुक्त उन्हें भेजी गई सूची, आपितयों और राय पर विचार करेगा और कलेक्टर द्वारा पारित किसी भी आदेश या दिए गए लाइसेंस को संशोधित या रद्द कर

सकता है और धारा 8 में किसी भी बात के होते हुए भी उसका आदेश अंतिम होगा।

अधिनियम की धारा 41 इस प्रकार है:-

- 41. तकनीकी दोष, अनियमितताएं और चूक-
- (1) इस अधिनियम के तहत दिया गया कोई भी लाइसेंस केवल लाइसेंस में किसी तकनीकी दोष, अनियमितता या चूक या उसके अनुदान से पहले की गई किसी कार्यवाही के कारण अमान्य नहीं माना जाऐगा।.
- (2) तकनीकी दोष, अनियमितता या चूक क्या है, इस संबंध में उत्पाद शुल्क आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

यहां कुछ अन्य नियमों पर भी ध्यान देना आवश्यक है जो प्रासंगिक हैं जो कि नियम 44, 45 और 46 हैं, जो इस प्रकार है:-

- 44. निम्नितिखित प्रावधानों के अधीन उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के थोक या खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वर्ष के लिए जारी किये जा सकते हैं:
- (1) देशी स्पिरिट, विदेशी शराब और मसालेदार देशी स्पिरिट की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस तीन साल से कम किसी भी अवधि के लिये जो 01 अप्रैल से शुरू होगी ऐसे मामलों में दिए जा सकते हैं, जहां उत्पाद शुल्क आयुक्त इसे उचित मानते हैं।

- (2) यदि वितीय वर्ष के दौरान कोई लाइसेंस प्रदान किया जाए वह अगले वितीय वर्ष 31 मार्च तक ही प्रदान किया जाएगा।
- (3) ताजा या किण्वित टैरिफ की बिक्री के लिए सीज़न लाइसेंस कलेक्टर द्वारा निर्धारित अविध के लिए दिए जा सकते हैं।
- (4) आपूर्ति प्रदान करने के लिए अस्थायी लाइसेंस दिए जा सकते हैं अस्थायी और विशेष अवसरों जैसे मेलों पर उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का अभ्यास आदि के रेजिमेंटल शिविर, और उस अवधि तक सीमित होंगे जिसके दौरान ऐसे अस्थायी या विशेष अवसर रहते हैं।
- (5) उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की आपूर्ति और बिक्री के लिए थोक लाइसेंस पाँच वर्षों से कम किसी भी संख्या के लिए प्रदान किया जा सकता है, बोर्ड प्रत्येक मामले में निर्णय ले सकता है।
- 45. किसी भी स्थानीय क्षेत्र के लिए दिए जाने वाले लाइसेंसों की संख्या उस क्षेत्र के लोगों की जरूरतों के अनुसार विनियमित की जाएगी और किसी भी स्थानीय क्षेत्र में किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु की बिक्री के लिए कोई लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसी वस्तुओं की निश्चित मांग को पूरा करना हो या अवैध स्रोतों से आपूर्ति का प्रतिकार किये जाने के लिये आवश्यक न हो।

46. शराब की खुदरा बिक्री के लिये दिये जाने वाले लाईसेन्सों की संख्या निश्चित करने के लिये कलेक्टर द्वारा निम्न लिखित सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाएगा, और जहां तक संभव हो उनको लागू किया जायेगा:-

शराब की दुकानों को इतना कम वितरित नहीं किया जाना चाहिए कि प्रत्येक को एक बड़े क्षेत्र पर व्यावहारिक एकाधिकार मिल जाए या कम से कम ऐसे एकाधिकार की अनुमित केवल तभी दी जानी चाहिए जब कीमतें प्रभावी ढंग से तय की जा सकें। इसी प्रकार एक ही समय में दो या दो से अधिक दुकानें काफी संख्या में व्यक्तियों के लिए समान रूप से सुविधाजनक नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, शराब की दुकानों की संख्या इतनी सीमित नहीं होनी चाहिए कि किसी विशेष क्षेत्र के निवासी के लिए एक विशेष दुकान को छोड़कर अन्य जगह से शराब प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से असंभव हो जाए; लेकिन उसके लिए दो अलग-अलग दुकानों से काफी असुविधा की कीमत पर शराब प्राप्त करना संभव होना चाहिए, और उसे इस मामले में अपनी इच्छानुसार यथासंभव कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए।

अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1)ः-

5. खुदरा और थोक की परिभाषा. -

(1) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, पूरे राज्य के संबंध में या किसी निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के संबंध में, और क्रेताओं के संबंध में या तो आम तौर पर या क्रेताओं के किसी निर्दिष्ट वर्ग के संबंध में और या तो आम तौर पर या किसी निर्दिष्ट अवसर के लिए घोषणा कर सकता है, कि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये किसी भी नशीले पदार्थ की मात्रा की कितनी सीमा होगी।

अधिनियम के अध्याय 6 से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें मौजूद प्रावधान स्प्रिट आदि की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस देने से संबंधित हैं। अध्याय 6 के प्रावधान विशेष रूप से आईएमएफएल में थोक वेंडिंग के लिए लाइसेंस देने से संबंधित नहीं हैं। हालाँकि, नियम 44 उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के थोक या खुदरा विक्रेता के लिए लाइसेंस को संदर्भित करता है और उप-नियम (5) में प्रावधान है कि उत्पाद शुल्क योग्य वस्त्ओं की आपूर्ति और बिक्री के लिए थोक लाइसेंस पांच वर्षों से अधिक के लिए नहीं दिए जा सकते हैं. जैसा कि बोर्ड द्वारा प्रत्येक मामले में निर्धारित किया जा सकता है। नियम 45 उन लाइसेंसों की संख्या को संदर्भित करता है जो किसी भी स्थानीय क्षेत्र के लिए दिए जा सकते हैं लेकिन थोक लाइसेंस का कोई संदर्भ नहीं है। इसी प्रकार, नियम 46 विक्रेता के परिसर में उपभोग के लिए शराब की खुदरा बिक्री के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस की संख्या निर्धारित करने के लिए सामान्य सिद्धांत बताता है। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम के तहत कानूनी प्राधिकारी और साथ ही राजस्व

बोर्ड इस धारणा पर आगे बढ़े कि अधिनियम के अध्याय 6 और नियम 44, 45 और 46 के प्रावधान जो कि खुदरा बिक्री से संबंधित हैं वह थोक बिक्री पर भी लागू होते हैं। हमने पाया कि सम्पूर्ण अधिनियम में आईएमएफएल बेचने के लिए थोक लाइसेंस देने की प्रक्रिया निर्धारित करने वाला कोई विशेष विनिर्दिष्ट प्रावधान नहीं है। जाहिर है, शराब बेचने के लिए थोक लाइसेंस देने के लिए उन्हीं नियमों का पालन करना होगा जो खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस देने के लिए निर्धारित हैं। इसलिए हम भी इसी धारणा पर आगे बढ़ते हैं।

अधिनियम की धारा 34, जिसे हमने पहले उद्धृत किया है, जो यह निर्धारित करती है कि कलेक्टर नियम 33 के तहत प्रस्तुत आपितयों और राय पर विचार करेगा और विचार करने के बाद वह मौजूदा सूची को संशोधित कर सकता है और तय कर सकता है कि किस स्थान पर स्प्रिट की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे और अपने विवेकानुसार तदनुसार लाइसेंस प्रदान कर सकता है। हालाँकि, उप-धारा (2) उसे अपनी स्वयं की राय के साथ उक्त सूची, आपितयों को उत्पाद शुल्क आयुक्त को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करती है। धारा 35 के तहत आबकारी आयुक्त को धारा 34 की उपधारा (2) के तहत कलेक्टर द्वारा उसके समक्ष रखे गए मामलों पर विचार करना आवश्यक है। इसके बाद वह कलेक्टर द्वारा पारित किसी भी आदेश या दिए गए लाइसेंस को संशोधित या रद्द कर सकता है।

धारा 35 के अधीन पारित आयुक्त का आदेश अंतिम होगा। दो प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर, यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत आपितयों और राय पर विचार करने के बाद, कलेक्टर को लाइसेंस देने के संबंध में सूची को अंतिम रूप देना आवश्यक है और तदानुसार वह अपने विवेक के अनुसार लाइसेंस दे सकता है।

हालाँकि, उनका निर्णय अंतिम नहीं है और इस मामले पर उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा आगे विचार किया जाना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए, कलेक्टर अपनी राय के साथ प्राप्त आपितयों और राय को उत्पाद शुल्क आयुक्त के समक्ष रखने के लिए बाध्य है। फिर इन मामलों पर आयुक्त द्वारा विचार किया जाता है और कलेक्टर द्वारा पारित किसी भी आदेश या दिए गए लाइसेंस को संशोधित करने या रद्द करने हेतु वह सक्षम है। आयुक्त का निर्णय अंतिम माना जाता है।

जहां तक नियमों का संबंध है, नियम 45 में प्रावधान है कि किसी भी स्थानीय क्षेत्र के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस की संख्या उस क्षेत्र के लोगों की जरूरतों के अनुसार नियंत्रित की जाएगी। किसी भी स्थानीय क्षेत्र में किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु की बिक्री के लिए कोई लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसी वस्तु की सुनिश्चित मांग को पूरा करने या अवैध स्रोतों के माध्यम से आपूर्ति का प्रतिकार करने के लिए इसकी आवश्यकता न हो। ये दोनों विचार कुछ हद तक सह-संबंधित हैं

क्योंकि यदि अधिकृत स्रोत मांग की पूर्ति के लिये पर्याप्त नहीं हैं तो अवैध स्रोतों के माध्यम से आपूर्ति बढ़ सकती है। इस प्रकार प्राथमिक आधार यह दर्शित होता है कि यदि उस क्षेत्र के लोगों की ज़रूरतें हैं, तो लाइसेंस दिया जा सकता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष रूप में, आईएमएफएल की खुदरा बिक्री या थोक बिक्री के लिए लाइसेंस देते समय कलेक्टर और आयुक्त दोनों को संबंधित क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि मौजूदा लाइसेंसधारी आईएमएफएल की आपूर्ति मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो अतिरिक्त लाइसेंस या लाइसेंसों को देना उचित हो सकता है। इसलिए, सच्ची परीक्षा यह है कि क्या अतिरिक्त लाइसेंस उस क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है ताकि अवैध स्रोतों के माध्यम से आपूर्ति का प्रतिकार किया जा सके। "ऐसी वस्तु के लिए एक सुनिश्चित मांग को पूरा करने के लिए" शब्दों के प्रयोग का तात्पर्य केवल यह है कि अधिकारियों को यह आकलन करना चाहिए कि क्या प्रश्नरत उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु की मांग बढ़ गई है और क्या ऐसी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु, हस्तगत मामले में आईएमएफएल की आपूर्ति मौजूदा लाइसेंसधारकों से पूरी की जा सकती है। मांग का पता लगाने के लिए गणितीय परिशुद्धता की आवश्यकता नहीं है। यह पर्याप्त है कि अधिकारियों द्वारा लोगों की आवश्यकता एवं मौजूदा लाइसेंसधारियों के माध्यम से ऐसी आवश्यकता को पूरा करने की व्यवस्था की पर्याप्तता के

संबंध में अपने विवेक का प्रयोग किया। इस प्रयोजन के लिए निस्संदेह, उन्हें किसी भी स्थानीय क्षेत्र में संबंधित उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु की बढ़ती खपत को ध्यान में रखना होगा।

जैसा कि हमने पहले देखा है, कलेक्टर ने अतिरिक्त थोक लाइसेंस देने की अपनी सिफारिश में निस्संदेह इसका उल्लेख किया है कि शराब की खपत में वृद्धि को देखते ह्ए लाइसेंस राजस्व में वृद्धि और प्रतिस्पर्धा प्रदान करने की आवश्यकता है। अपनी अनुशंसा में उन्होंने उन तथ्यों का विवरण नहीं दिया था जिसके आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लाइसेंस की आवश्यकता है। लेकिन यह बिल्क्ल स्पष्ट है कि जब उन्हें अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने उन तथ्यों का खुलासा किया जिसके आधार पर उन्होंने अतिरिक्त लाइसेंस देने की सिफारिश की थी। उत्पाद शुल्क आयुक्त ने उत्पाद अधीक्षक की टिप्पणियाँ और संबंधित फाइल भी अपने विचारार्थ तलब की थी। इसी प्रकार, राजस्व मंडल के समक्ष भी कलेक्टर ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए सभी प्रासंगिक सामग्री रखी थी कि अतिरिक्त लाइसेंस देने के लिए उनके द्वारा की गई सिफारिश नियमों के नियम 45 के तहत प्रासंगिक विचारों के आधार पर थी। कलेक्टर की टिप्पणियों और उनके द्वारा आयुक्त के समक्ष रखी गई सामग्री और आयुक्त के समक्ष रखी गई अन्य सामग्री पर कलेक्टर द्वारा की गई सिफारिशों पर

अपनी मंजूरी देने से पहले उनके द्वारा विधिवत विचार किया गया था। आईएमएफएल की खपत में जबरदस्त वृद्धि की तथ्यात्मक स्थिति उनके सामने थी और उससे पता चला कि 1984 के बाद से, आईएमएफएल की खपत में भारी वृद्धि हुई थी और फिर भी पूरे जिले में आईएमएफएल की वेंडिंग के लिए केवल एक थोक लाइसेंसधारी था। उनके समक्ष रखी गई सामग्री से यह भी पता चला कि अन्य समतुल्य और पड़ोसी जिलों में कम से कम दो और कुछ में सात थोक लाइसेंसधारी थे। इन परिस्थितियों में और आयुक्त के समक्ष रखी गई ऐसी सामग्री पर विचार करने से यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अतिरिक्त लाइसेंस देना उचित था, तो हम उनके निर्णय में गलती नहीं निकाल सकते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्होंने केवल प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा है और इसलिए उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने पाया कि नियम 45 का अनुपालन नहीं किया गया था क्योंकि कलेक्टर द्वारा की गई सिफारिश में यह उल्लेख नहीं किया था कि अतिरिक्त लाइसेंस दिया जाना चाहिए क्योंकि आईएमएफएल की मांग में भारी वृद्धि हुई है, या यह अवैध स्रोतों के माध्यम से आपूर्ति का प्रतिकार करने हेतु भी बह्त आवश्यक था। पत्र में केवल आईएमएफएल की बढ़ती मांग के मद्देनजर लाइसेंस शुल्क और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के माध्यम से राज्य के राजस्व में वृद्धि का उल्लेख किया गया है। उच्च न्यायालय का विचार था

कि कलेक्टर द्वारा की गई सिफारिश पत्र अपने आप में पूर्ण होना चाहिए और उससे यह दर्शित होना चाहिए कि सिफारिश करते समय नियम 45 के तहत प्रासंगिक सभी तथ्यों को ध्यान में रखा गया है। चूंकि, कलेक्टर द्वारा अनुशंसा करने वाले पत्र में ये विवरण शामिल नहीं थे, इसलिए उन्हें अपनी अनुशंसा को उत्पाद शुल्क आयुक्त के समक्ष टिप्पणी प्रस्तुत करके, पूर्ति करने की अनुमति नहीं दी जा सकी।

हमारे विचार में, उच्च न्यायालय का इस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं था। अधिनियम और नियम में ऐसा कोई विशेष तरीका नहीं है, जिस तरीके से आईएमएफएल को बेचने के लिए अतिरिक्त थोक लाइसेंस देने के लिए कलेक्टर द्वारा सिफारिश की जानी है। अधिनियम और नियम केवल पालन की जाने वाली प्रक्रिया और ऐसी सामग्री का प्रावधान करते हैं जिन पर अतिरिक्त लाइसेंस देते समय विचार किया जाना है। अधिनियम यह भी स्पष्ट करता है कि अंतिम निर्णय आयुक्त द्वारा लिया जाना है और कलेक्टर की सिफारिश उत्पाद शुल्क आयुक्त के अंतिम निर्णय के अधीन है। कलेक्टर द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय, और उसके द्वारा दिया गया कोई भी लाइसेंस, स्पष्ट रूप से उत्पाद शुल्क आयुक्त के अंतिम निर्णय के अधीन होता है। उपरोक्त कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हए, उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा अतिरिक्त लाइसेंस देने और कलेक्टर की सिफारिश को सफलतापूर्वक चुनौती देने के लिए यह दर्शित करना आवश्यक है कि

कलेक्टर और/या आयुक्त ने अतिरिक्त लाइसेंस देते समय प्रासंगिक तथ्यों पर विचार नहीं किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कलेक्टर द्वारा की गई सिफारिश में वह सामग्री शामिल थी या नहीं, जिसके आधार पर उन्होंने अतिरिक्त लाइसेंस देने के लिए सिफारिश की थी। वह केवल एक सिफारिश कर रहा था, वह निर्णय नहीं दे रहा था। कलेक्टर द्वारा की गई सिफारिश पर विचार करते समय, किसी भी समय, आयुक्त संबंधित रिकॉर्ड और कलेक्टर की टिप्पणियों को तलब कर सकता है और सभी सामग्री वास्तव में आयुक्त के समक्ष उनके विचार के लिए रखी गई थी। ऐसी प्रासंगिक सामग्री के आधार पर उन्होंने अतिरिक्त लाइसेंस देने को मंजूरी देने का अंतिम निर्णय लिया। इस प्रकार, कलेक्टर की सिफारिश, जो किसी भी स्थिति में केवल एक सिफारिश थी और अंतिम निर्णय नहीं थी, को आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो सभी प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के बाद ही अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत था। हमारी राय है कि अधिनियम और नियम 45 के प्रावधानों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। इसलिए, हम प्रत्यर्थी नंबर 5 के वकील द्वारा हमारे सामने पेश की गई दलील को खारिज करते हैं कि नियमों के नियम 45 का अनुपालन न करने के कारण अतिरिक्त लाइसेंस देने का निर्णय गलत था।

प्रत्यर्थी संख्या 5 के वकील ने फिर तर्क दिया कि मामला निष्फल हो चुका है क्योंकि अपीलकर्ता को दिया गया लाइसेंस 31 मार्च 2003 तक ही वैध था। लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी है इसलिये अपील में निर्णय लेने के लिए क्छ भी नहीं बचा है जो कि निष्फल हो चुकी है। यह तर्क भी उचित नहीं है। जहां तक आईएमएफएल बेचने के लिए थोक लाइसेंस देने का सवाल है, नियमों के तहत यह पांच साल से कम कितने भी समय के लिये दिया जा सकता है, जैसा कि बोर्ड प्रत्येक मामले में निर्णय ले सकता है। ऐसा नहीं है कि हर साल थोक लाइसेंस देने के लिए नया नोटिस जारी किया जाता है। वास्तव में जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 5 ने स्वीकार किया है कि उसके पास वर्ष 1984 से थोक लाइसेंस है और समय-समय पर उसका नवीनीकरण किया जाता रहा है। इन परिस्थितियों में, इस तर्क का कोई औचित्य नहीं है कि अपीलकर्ता को जिस अवधि के लिए लाइसेंस जारी किया गया था वह समाप्त हो गई है और अपील निरर्थक हो गई है।

इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि एक नयी प्रकिया की जा सकती है क्योंकि पहले की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण नहीं थी और यह पूरी तरह से केवल कलेक्टर की रिपोर्ट पर आधारित थी और आबकारी अधिकारियों द्वारा आयुक्त के समक्ष कोई सामग्री नहीं रखी गई थी। इस तर्क में भी हमें कोई बल नहीं दिखाई दिया, जैसा कि हमने पहले इस फैसले में देखा है, हालांकि

उनके अनुशंसा पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया गया था कि कलेक्टर ने संबंधित क्षेत्र के लोगों की जरूरतों का पता लगाया था और इस निष्कर्ष पर पहंचे थे कि आईएमएफएल की खपत में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिससे आईएमएफएल के थोक विक्रय के लिए अतिरिक्त लाइसेंस देना उचित है। संबंधित क्षेत्र के लिए आईएमएफएल की खपत में वृद्धि के वर्ष-वार आंकड़े उनके द्वारा देखे गये थे और उन्हें आयुक्त के समक्ष उनके विचार के लिए रखा गया था। इसलिए, यह आलोचना कि यह निर्धारण वस्तुनिष्ठ विचार पर आधारित नहीं था, उचित नहीं है। इसके अलावा, आयुक्त ने आबकारी कार्यालय से संबंधित प्रशासनिक फाइल मंगवाई थी और उन्होंने उसका अवलोकन भी किया था। कलेक्टर, बेगुसराय द्वारा प्रस्तुत अभिलेख, उनके द्वारा भेजी गई टिप्पणियों और उत्पाद कार्यालय की प्रशासनिक फ़ाइल का अवलोकन करने के बाद वह नियमावली के नियम 45 में उल्लिखित विचारों को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक अतिरिक्त थोक लाइसेंस के अनुदान की आवश्यकता थी। जाहिर है, आयुक्त ने पाया कि कलेक्टर ने उनके सामने जो सभी प्रासंगिक सामग्री रखी थीं जिनके आधार पर उनका सिफारिश करना उचित था।

यहां तक कि कलेक्टर की ओर से कुछ चूक के कारण हुए तकनीकी दोष का होना मानते हुए क्योंकि उन्होंने सिफारिश पत्र में सभी प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख नहीं किया था, उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा दिए गए

लाइसेंस को अमान्य नहीं कर देता है। अनुशंसा पत्र में सभी प्रासंगिक सामग्री, जो वास्तव में मौजूद थी, का उल्लेख करने की चूक एक तकनीकी दोष या चूक थी और धारा 41 के प्रावधानों के मद्देनजर उनकी सिफारिश को रद्द नहीं किया जा सकता।

परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है, उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की जाती है। खर्च बावत कोई ऑर्डर नहीं किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पूनम शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।